

13/10/14

वकील वादी उपरिगत । अर्चना पत्र नं I के साथ मूल वाद स्तारिज
किमा जाया इसलिये अर्चना पत्र उभार शून्य हो गया है। इस कार्य
वादी 9-पत्र ड्रोप दि जाती है। मिसल टैक्स न्यूमाए लेकर
नक्कर से काम हो। वाद दफ्तर दाखिल है।

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

